न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– हरि राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0:–25/2018 **(हुक्म उदूली)**

उनवान

1. महेश चन्द पुत्र स्व0 श्री मदनलाल जाति ब्राहमण निवासी नांगलबानी तहसील थानागाजी जिला अलवर ।

..... वादी अपीलांट

बनाम

1. हनुमान पुत्र बंशीधर, जाति ब्राहमण निवासी ग्राम नांगलबानी तहसील थानागाजी जिला अलवर।
2. मांगी देवी पत्नि श्री मंगलराम जाति मीणा।
3. इन्द्राज पुत्र मंगलराम जाति मीणा।
4. राजेन्द्र उर्फ राजू पुत्र श्री मंगलराम जाति मीणा निवासी ग्राम झाकडी तहसील थानागाजी अलवर।

..... प्रतिवादी/रेस्पोडेण्ट

उपस्थित :–
1. श्री दाताराम गुप्ता, अभिभाषक प्रार्थी ।
2. श्री के.के.शर्मा, अभिभाषक अप्रार्थी ।

::: निर्णय :::

दिनांक :–03.01.2020

यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कैम्प राजस्व लोक अदालत थानागाजी द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.05.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी अपीलांट द्वारा तहत अदालत उपखण्ड अधिकारी थानागाजी में एक प्रार्थना पत्र बाबत हुक्म उदूली अंतर्गत आदेश 39 नियम 2–क सिविल प्रकिया संहिता का इस आशय का पेश किया कि हाल आराजी खसरा नंबर 57 रकबा 0.89 है0, 58 रकबा 0.97 है0, 59 रकबा 0.08 है0, 60 रकबा 0.48 है0, 61 रकबा 0.35 है0, 62 रकबा 0.15 है0, 86 रकबा 1.24 है0, ग्राम नांगलबानी तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0 में स्थित है जो आराजी विवादित है। जिसकी बाबत उक्त अनुवानी वाद वादी प्रार्थी ने तहत अदालत में पेश किया हुआ है। उक्त वादपत्र के साथ वादी प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 1–2 व

धारा 151 जा.दी. का भी पेश किया था। जिसमें तहत अदालत द्वारा दिनांक 08.09.2015 के आदेश से प्रतिवादी अप्रार्थीगण को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया कि वे मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। जो आदेश आज तक प्रभावी है किसी प्रकार स्थगित निरस्त अथवा संशोधित नही हुआ है। अप्रार्थीया संख्या 02 उक्त वाद प्रार्थना पत्र में आदेश 01 नियम 10 एवं धारा 151 जा.दी. के तहत अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार बनकर उक्त मौके व रिकार्ड की यथास्थिति रखने के आदेश से पाबन्द हो गई। अप्रार्थीगण को उक्त आदेश की बखूबी जानकारी है। बाबजूद जानकारी के व उक्त आदेश से पाबन्द होने के अप्रार्थीगण ने दिनांक 03.07.2016 को विवादित आराजी में तारबन्दी करने का प्रयास किया और झगडा फसाद किया। अप्रार्थी संख्या 02 ने अपने पुत्र अप्रार्थी संख्या 3–4 तथा अप्रार्थी संख्या 01 के सहयोग से विवादित आराजी के 1/2 हिस्से को मिलाते हुये तारबन्दी कर दी और मौका की स्थिति तब्दील कर दी है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिनांक 14.05.2018 को आदेश पारित कर उक्त प्रार्थना पत्र खारिज फरमा दिया। जिस आदेश दिनांक 14.05.2018 से व्यथित होकर अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया । तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

अभिभाषक अपीलांट ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराया। तहत अदालत के आदेश दिनांक 14.05.2018 का हवाला देते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र हुक्म उदूली का निस्तारण राजस्व लोक अदालत में किया है, जो गलत है। राजस्व लोक अदालत में केवल उन्ही प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता था जो आपसी समझाईश से अथवा राजीनामा से हो सकता हो। अपीलांट प्रार्थी को सुनवाई का उचित अवसर दिये बिना ही तहत अदालत द्वारा निर्णय पारित किया गया है।अधीनस्थ न्यायालय ने वादी अपीलांट का प्रार्थना पत्र महज इस आधार पर खारिज किया है कि विवादित आराजी पर धारा 145 दण्ड प्रकिया संहिता के तहत रिसीवर कायम किया जा चुका है ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र हुक्म उदूली चलाने का कोई औचित्य नही है। कानूनन अधीनस्थ न्यायालय को उक्त प्रार्थना पत्र के निस्तारण के यह तय किया जाना आवश्यक था कि आया प्रतिवादी रेस्पो0 ने माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 08.09.2015 की कोई अवहेलना की या नही। जबकि पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों व परिस्थितियों से यह साबित पाया जाता था कि प्रतिवादी रेस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखने के आदेश की अवहेलना करते हुये विवादित आराजी में वादी अपीलांट के 1/2 हिस्से को मिलाते हुये तारबन्दी कर दी और स्थिति मौका तब्दील कर दी है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर प्रकरण को उचित निर्देश के साथ रिमाण्ड किये जाने का आदेश दिये जाने हेतु निवेदन किया गया।

जबाब बहस में अधिवक्ता रेस्पो0 का कथन है कि विवादित आराजी पर धारा 145 दण्ड प्रकिया संहिता के तहत रिसीवर कायम किया जा चुका है ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र हुक्म उदूली चलाने का कोई औचित्य नही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय सही एवं न्यायोचित है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी । पत्रावली का अवलोकन किया । तहत न्यायालय की पत्रावली में पेश रेकार्ड, अपील के तथ्यों का अवलोकन करते हुए तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.05.2018 का अवलोकन किया।

राजस्व लोक अदालत में केवल उन्ही प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता था जो आपसी समझाईश से अथवा राजीनामा से हो सकता हो। अधीनस्थ न्यायालय को उक्त प्रार्थना पत्र के निस्तारण के समय यह तय किया जाना आवश्यक था कि रेस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 08.09.2015 की कोई अवहेलना की या नही। उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार योग्य है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी थानागाजी का आदेश दिनांक 14.05.2018 निरस्त किया जाकर प्रकरण तहत न्यायालय में इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि पक्षकारान को विधिवत सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये गुणावगुण के आधार पर पुनः विधिसम्मत अपना निर्णय पारित करे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 03.01.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

03/01/2020

(हरि राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर